HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Contempt Petition No. 1227/2025

1. Bikhu Singh Son Of Late Shri Bhairu Singh, Aged About 62 Years, Resident Of Agastya Muni Ki Gufa Nalla Pushkar Tehsil Pushkar District Ajmer
2. Ram Singh Son Of Late Shri Bhairu Singh, Aged About 60 Years, Resident Of Agastya Muni Ki Gufa Nalla Pushkar Tehsil Pushkar District Ajmer

----Petitioners

Versus

1. Shri Hemant Kumar Gera, Chairman, Board Of Revenue For Rajasthan, Ajmer.
2. Shri Rajesh Kumar Daria, Member, Board Of Revenue For Rajasthan, Ajmer.
3. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary Department Of Revenue Secretariat, Jaipur.
4. State Of Rajasthan, Through Tehsildar, Inderjeet Singh, Pushkar, District-Ajmer.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Dilip Sharma, Adv.
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

11/11/2025

याची द्वारा यह अवमानना याचिका एस बी सिविल रिट पीटीशन 8394/2025 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2025 की जानबूझकर की गयी अवहेलना के संबंध में प्रस्तुत की गयी है, आदेश का सुसंगत भाग निम्नानुसार है:—

> "Since, limited issue has been raised in the instant writ petition, this Court deems it just and proper to direct the Board to decide the application submitted by the respondent under Section 5 of the Limitation Act before passing final order on the next date."

विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि उपरोक्त आदेश की पालना में राजस्व मण्डल द्वारा अपील का निस्तारण करने से पूर्व धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन निस्तारित किया जाना आज्ञापक था, लेकिन न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर आवेदन पर बहस के बजाय प्रकरण बहस अंतिम में नियत किया गया है, जो इस न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अवहेलना है। इस संबंध में दिनांक 19.06.2025 की आदेशिका याची पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि निर्णय से पूर्व धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन का निर्णय होगा, अतः ऐसी स्थिति में आदेश की अवहेलना होना प्रथमदृष्ट्या ही प्रकट नहीं हो रहा है, लिहाजा अवमानना याचिका इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

भविष्य में यदि अवहेलना के संबंध में कोई वाद कारण उत्पन्न होता है, तो याची नवीन याचिका पेश करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /06